POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 06.02.2026

1.थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल फोन स्नैच करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त चोरी की एक मोटरसाइकिल, स्नैचिंग के 05 मोबाइल फोन व एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 06.02.2026 को थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से मोबाइल फोन स्नैच करने वाला एक अभियुक्त रिशू पुत्र सत्यनारायण को सेक्टर-62, नोएडा के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चोरी की एक मोटरसाइकिल डीएल5एससीक्यू-7215, स्नैचिंग के 05 मोबाइल फोन व एक अवैध चाकू बरामद हुए है।

घटनाक्रम का संछिप्त विवरण-- अभियुक्त रिशू शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर राह चलते व्यक्तियों से मोबाइल फोन स्नैच किये जाते है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि बरामद मोटरसाइकिल को इनके द्वारा विनोद नगर ईस्ट दिल्ली से चोरी किया गया था तथा इसी चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर सेक्टर-57, 58, 60 व 62 से मोबाइल फोन को छीना गया है। एक मोबाइल Apple-16 इनके द्वारा बारक्लेव बिल्डिंग सेक्टर-62 नोएडा के सामने पैदल जा रहे एक व्यक्ति से छीना गया था। अभियुक्त के साथी की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. रिशू पुत्र सत्यनारायण निवासी यूटीसी त्रिलोकपुरी, पडपडगंज, थाना मयूर विहार, दिल्ली।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 002557/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कल्याणपुरी ईस्ट, दिल्ली।
2. मु0अ0सं0 44/2026 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-58, नोएडा।
3. मु0अ0सं0 1052/2019 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा।
4. मु0अ0सं0 422/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-20, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1. एक मोटरसाइकिल स्पलेण्डर रजि0 नं0 डीएल5एससीक्यू-7215 (सम्बन्धित मु0अ0सं0-002557/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कल्याणपुरी ईस्ट दिल्ली)

2. 05 मोबाइल फोन (स्नैचिंग के)
3. एक अवैध चाकू

2.थाना बिसरख पुलिस द्वारा आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल मय 05 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 05.02.2026 को अभियुक्त आशीष पंवार पुत्र किरेन्द्र सिंह के द्वारा अपनी महिला मित्र को आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित किया गया जिस कारण अभियुक्त की महिला मित्र द्वारा दिनांक 05.02.2026 को अभियुक्त उपरोक्त की लाइसेंसी पिस्टल से स्वयं को गोली मार ली गयी। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 90/2026 धारा 108,62 बीएनएस व 30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 06.02.2026 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने वाला अभियुक्त आशीष पंवार पुत्र किरेन्द्र सिंह को थाना क्षेत्र से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल मय 05 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--
1. आशीष पंवार पुत्र किरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम ककडीपुर, थाना रमाला, जिला बागपत वर्तमान पता ऑफिसर सिटी प्रथम, राज नगर एक्सटेंशन, थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--
1. मु0अ0सं0 90/2026 धारा 108, 62 बीएनएस व 30 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--
1. घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल मय 05 जिन्दा कारतूस
2. मृतका की चप्पल (अभियुक्त की कार से)